न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बीदासर

पीठासीन अधिकारी अमीलाल यादव

(आर.ए.एस.)

न.मु.– 18 / 2021

1. हुक्माराम पुत्र गिदाराम उम्र 91 वर्ष जाति नायक निवासी ढढेरू भाम्भूवान तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान।

..............प्रार्थी

बनाम

1. भींवाराम पुत्र जेठाराम जाति मेघवाल निवासी बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू (राज.)
2. पाना देवी पुत्री ग्यारसी देवी पत्नी मेगाराम जाति नायक निवासीनी दूंकर तहसील बीदासर जिला चूरू हाल गोपाल पुरा तहसील सुजानगढ़
3. भगवानी पत्नी पोकरराम जाति मेघवाल निवासीनी बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान।
4. भंवराराम पुत्र ग्यारसी देवी पुत्र भींवाराम जाति नायक निवासी दूंकर तहसील बीदासर जिला चूरू हाल बैनाथा
5. भोलूराम पुत्र मनोहरी पुत्र भगवानाराम पुत्री गिदाराम जाति नायक निवासी ढढेरू भाम्भूवान तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान हाल खालिया तहसील सुजानगढ़
6. मंगलाराम पुत्र साजनराम जाति मेघवाल निवासी ढढेरू गोदारान तहसील बीदासर जिला चूरू
7. मुन्नी देवी पुत्र ग्यारसी देवी पत्नी रूगाराम जाति नायक निवासीनी दूंकर तहसील बीदासर जिला चूरू हाल गोपाल पुरा तहसील सुजानगढ़
8. राजूराम पुत्र ग्यारसी देवी पुत्र भींवाराम जाति नायक निवासी दूंकर तहसील बीदासर जिला चूरू हाल बैनाथा
9. सुखाराम पुत्र ग्यारसी देवी पुत्र भींवाराम जाति नायक निवासी दूंकर तहसील बीदासर जिला चूरू हाल बैनाथा
10. हड़मानाराम पुत्र ग्यारसी देवी पुत्र भींवाराम जाति नायक निवासी दूंकर तहसील बीदासर जिला चूरू हाल बैनाथा
11. भागुराम पुत्र रामेश्वरलाल जाति जाट खेरिया निवासी ढढेरू भाम्भूवान तहसील बीदासर जिला चूरू
12. गणेशाराम पुत्र बेगाराम जाति जाट खेरिया निवासी ढढेरू भाम्भूवान तहसील बीदासर जिला चूरू
13. दुलाराम पुत्र हनुमानाराम जाति भांभू निवासी ढढेरू भाम्भूवान तहसील बीदासर जिला चूरू
14. भींवाराम पुत्र जयकिशनाराम जाति प्रजापत निवासी ढढेरू भाम्भूवान तहसील बीदासर जिला चूरू
15. देवाराम पुत्र जयकिशनाराम जाति प्रजापत निवासी ढढेरू भाम्भूवान तहसील बीदासर जिला चूरू
16. छगनाराम पुत्र दूरखाराम जाति प्रजापत निवासी ढढेरू भाम्भूवान तहसील बीदासर जिला चूरू
17. ननूराम पुत्र बेगाराम जाति जाट खेरिया निवासी ढढेरू भाम्भूवान तहसील बीदासर जिला चूरू
18. मोहनाराम पुत्र जोराराम जाति जाट खेरिया निवासी ढढेरू भाम्भूवान तहसील बीदासर जिला चूरू
19. गणेशाराम पुत्र जोराराम जाति जाट खेरिया निवासी ढढेरू भाम्भूवान तहसील बीदासर जिला चूरू
20. किशनाराम पुत्र जोराराम जाति जाट खेरिया निवासी ढढेरू भाम्भूवान तहसील बीदासर जिला चूरू
21. मांगीलाल पुत्र जोराराम जाति जाट खेरिया निवासी ढढेरू भाम्भूवान तहसील बीदासर जिला चूरू

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

22. गोविन्दराम पुत्र हीराराम जाति जाट खेरिया निवासी ढढेरू भाम्भूवान तहसील बीदासर जिला चूरू
23. मूलाराम पुत्र हीराराम जाति जाट खेरिया निवासी ढढेरू भाम्भूवान तहसील बीदासर जिला चूरू
24. मोहनराम पुत्र हीराराम जाति जाट खेरिया निवासी ढढेरू भाम्भूवान तहसील बीदासर जिला चूरू
25. दानाराम पुत्र हीराराम जाति जाट खेरिया निवासी ढढेरू भाम्भूवान तहसील बीदासर जिला चूरू
26. संजय कुमार पुत्र भगवानाराम जाति सुथार निवासी ढढेरू भाम्भूवान तहसील बीदासर जिला चूरू
27. कानाराम पुत्र भगवानाराम जाति सुथार निवासी ढढेरू भाम्भूवान तहसील बीदासर जिला चूरू
28. चेनाराम पुत्र खीवाराम जाति प्रजापत निवासी ढढेरू भाम्भूवान तहसील बीदासर जिला चूरू (राज.)
29. चेतनराम पुत्र भींवाराम जाति सुथार निवासी ढढेरू भाम्भूवान तहसील बीदासर जिला चूरू (राज.)
30. मांगीलाल पुत्र भीवाराम जाति सुथार निवासी ढढेरू भाम्भूवान तहसील बीदासर जिला चूरू (राज.)
31. भंवरलाल पुत्र भींवाराम जाति सुथार निवासी ढढेरू भाम्भूवान तहसील बीदासर जिला चूरू (राज.)
32. मदनलाल पुत्र भींवाराम जाति सुथार निवासी ढढेरू भाम्भूवान तहसील बीदासर जिला चूरू (राज.)
33. दानाराम पुत्र भींवाराम जाति सुथार निवासी ढढेरू भाम्भूवान तहसील बीदासर जिला चूरू (राज.)
34. केशाराम पुत्र भींवाराम जाति सुथार निवासी ढढेरू भाम्भूवान तहसील बीदासर जिला चूरू (राज.)
35. मानाराम पुत्र प्रभूराम जाति जाट खेरिया निवासी ढढेरू भाम्भूवान तहसील बीदासर जिला चूरू
36. भूराराम पुत्र प्रभूराम जाति जाट खेरिया निवासी ढढेरू भाम्भूवान तहसील बीदासर जिला चूरू(राज.)
37. चान्दाराम पुत्र आसुराम जाति सुथार निवासी ढढेरू भाम्भूवान तहसील बीदासर जिला चूरू (राज.)
38. भींवाराम पुत्र चन्द्राराम जाति जाट निवासी ढढेरू भाम्भूवान तहसील बीदासर जिला चूरू (राज.)
39. हड़मानाराम पुत्र बेगाराम जाति जाट निवासी ढढेरू भाम्भूवान तहसील बीदासर जिला चूरू (राज.)
40. किशनाराम पुत्र बेगाराम जाति जाट निवासी ढढेरू भाम्भूवान तहसील बीदासर जिला चूरू (राज.)
41. रतनलाल पुत्र पुरखाराम जाति जाट निवासी ढढेरू भाम्भूवान तहसील बीदासर जिला चूरू (राज.)।
42. कूमाराम पुत्र पुरखाराम जाति जाट निवासी ढढेरू भाम्भूवान तहसील बीदासर जिला चूरू (राज.)।
43. सोहनलाल पुत्र रामलाल जाति जाट खेरिया निवासी ढढेरू भाम्भूवान तहसील बीदासर जिला चूरू
44. चोथूराम पुत्र चन्द्राराम जाति जाट निवासी ढढेरू भाम्भूवान तहसील बीदासर जिला चूरू (राज.)
45. खीरजाराम पुत्र भंवराराम जाति जाट निवासी ढढेरू भाम्भूवान तहसील बीदासर जिला चूरू (राज.)
46. भंवरलाल पुत्र लालाराम जाति जाट निवासी ढढेरू भाम्भूवान तहसील बीदासर जिला चूरू (राज.)
47. सोहनराम पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी ढढेरू भाम्भूवान तहसील बीदासर जिला चूरू (राज.)
48. गोपालाराम पुत्र बेगाराम जाति जाट निवासी ढढेरू भाम्भूवान तहसील बीदासर जिला चूरू (राज.)
49. भंवरलाल पुत्र पुसाराम जाति जाट नेहरा निवासी ढढेरू भाम्भूवान तहसील बीदासर जिला चूरू
50. सहायक अभियन्ता जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड नोखा रोड़ बीदासर
51. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बीदासर जिला चूरू राजस्थान
52. उपपंजीयक महोदय, बीदासर जिला चूरू राजस्थान

– अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ति हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व आदेश 39 नियम (1) (2) सी.पी.सी.</u>

उपस्थित :

1. विद्वान अधिवक्ता श्री दीनदयाल प्रजापत प्रार्थी की ओर से...
2. विद्वान अधिवक्ता श्री मनोज गोदारा अप्रार्थीगण 11 ता 23, 25 ता 27 , 35 ता 42 ,44, 45, 47 ता 49 की ओर से ....
3. इकतरफा कार्यवाही प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 , 24 , 28 ता 34, 43 , 46, 50
4. पैरोकार राज. प्रतिवादी संख्या 51 वा 52

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

– : निर्णय :–

दिनांकः– 21/5/26

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है यह कि खेत खसरा नं. 910/511 तादादी 3.1367 हैक्टेयर व खसरा न 626 तादादी 0.1518 हैक्टेयर व खसरा न 627 तादादी 0.1518 हैक्टेयर व खसरा न 628 तादादी 0.1265 व खसरा न 629 तादादी 0.1265 हैक्टेयर हैक्टेयर व खसरा न 630 तादादी 0.1518 हैक्टेयर व खसरा न 631 तादादी 0.1518 हैक्टेयर व खसरा न 632 तादादी 0.1518 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम ढढेरु भाम्भूवान तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है। उक्त खेत खसरा संयुक्त खोतदारी का है जिसमें खेत खसरा संख्या 910/511 में भिवाराम पुत्र जेठाराम 3/62 हिस्सा पाना देवी पुत्री ग्यारसी देवी 41/5952 हिस्सा, भगवानी पत्नी पोकरराम 5/248 हिस्सा, भंवराराम पुत्र ग्यारसी देवी 41/5952 हिस्सा भोलूराम पुत्र मनोहरी पुत्री गिदाराम 21/496 हिस्सा मंगलाराम पुत्र साजनराम 15/124 हिस्सा मुन्नी देवी पुत्री ग्यारसी देवी 41/5952 हिस्सा, राजूराम पुत्र ग्यारसी देवी 41/5952 हिस्सा सुखाराम पुत्र ग्यारसी देवी 41/5962 हिस्सा हुक्माराम पुत्र गिदाराम 721/992 हिस्सा हढ़मानाराम पुत्र ग्यारसी देवी 41/5952 हिस्सा व खसरा स. 626 से 632 में पाना देवी पुत्री ग्यारसी देवी 1/144 हिस्सा, भंवराराम पुत्र ग्यारसी देवी 1/144 हिस्सा भोलूराम पुत्र मनोहरी पुत्री गिदाराम 1/24 हिस्सा मुन्नी देवी पुत्री ग्यारसी देवी 1/144 हिस्सा, राजूराम पुत्र ग्यारसी देवी 1/144 हिस्सा, सुखाराम पुत्र ग्यारसी देवी 1/144 हिस्सा हुक्माराम पुत्र गिदाराम 11/12 हिस्सा. हड़मानाराम पुत्र ग्यारसी देवी 1/144 हिस्सा खातेदारी वर्तमान में दर्ज चली आ रही है। उपरोक्त खसरे का अभी तक विधीवत रुप से विभाजन नहीं हुआ है उपरोक्त खसरा में प्रार्थी व अप्रार्थी सख्या 1 ता 10 अपनी आपसी सहमती से मौखीक रुप से कृषि भूमि पर काश्त करते चले आ रहे है। उपरोक्त खेतों का विधिवत रूप अभी तक विभाजन नहीं हुआ है। उपरोक्त खेत अविभाजित संयुक्त खातेदार के रूप में दर्ज चला आ रहा है। जब तक विधिवत रूप से विभाजन नहीं हो जाता, तब तक प्रत्येक व्यक्ति का प्रत्येक इंच पर अधिकार होता है। जिसके मालिकाना अधिकारों की घोषणा करवाने का प्रार्थी कानूनी अधिकार रखता है। खातेदार नायक व मेघवाल जाति के है ग्रामीण अचल के अनपढ़ व सीधे साधे व्यक्ति है जिनका लाभ उठाकर अप्रार्थी सख्या 11 ता 49 ने अपने पैसे व ताकत के बल बूते पर उपरोक्त खसरानो पर अवैध कब्जे कर लिये है उपरोक्त खसरान आबादी के नजदीक होने के कारण जमीन कीमती व

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

गावो की मुख्य सडक पर होने के कारण इनके मन में लालच व बेईमानी आ गयी व भोले भाले नायको व मेघवाल की जमीन पर अवैध व अनाधिकृत कब्जे कर लिये तथा अप्रार्थी सख्या 11 ता 13 व 18 ता 21 ने तो अवैध पुख्ता कब्जा के उददेश्य से चार दीवारी आदि का निर्माण करवा लिया तथा अब भी निर्माण कर रहे है। अप्रार्थीगण की नियत में फर्क आ गया है ओर उपरोक्त संयुक्त अविभाजित खातेदारी खेत का हस्तान्तरण करना चाहते है। जब अप्रार्थीगणों को विभाजन हेतु कहा गया तो उन्होने विभाजन करने से साफइन्कार कर दिया तथा ऐलानियां धमकिया दी कि बिना विभाजन ही अवैध निर्माण, रहन, विकय आदि करने पर आमदा है। जबकि जब तक विधिवत रूप से विभाजन नहीं हो जाता, तब तक प्रत्येक व्यक्ति का प्रत्येक इंच पर अधिकार होता है। अप्रार्थी संख्या 18 ता 21 ने खसरा न. 627 व 628 में अवैध रूप से चार दिवारी का निर्माण करीबन 2 माह पहले लॉकडाउन के दौरान करवा लिया था जो कि अवैध व गलत था। इसी प्रकार अप्रार्थी स 11 ता 13 ने खसरा न. 910/511 में अवैध रूप से चार दिवारी लेट बाथरूम आदि का निर्माण वर्तमान में करवा रहे है जो कि अवैध व गलत था। अवैध रूप से विद्युत कनक्शन भी ले लिया। इस बाबत प्रार्थी के पुत्र सहीराम ने पुलिस थाना बीदासर दिनांक 24/04/2021 व उपखण्ड अधिकारी बीदासर दिनांक 20/04/2021 और 24/04/2021 को प्रार्थना पत्र पेश किया था। जिसकी जाच अप्रार्थी स 11 ता 13 व 18 ता 21 ने पैसे के दूते पर दबा दी और आगे भी अवैध कब्जा व अवैध निर्माण की धमकियां दे रहे है। वादगत भूमि में प्रार्थी व अप्रार्थीगणके नाम संयुक्त खातेदारी में दर्ज है अप्रार्थी स 11 ता 13 व 18 ता 21 के मन में लालच आ गया है और खातेदार नायक व मेघवाल जाति के है ग्रामीण अचल के अनपढ़ व सीधे साधे व्यक्ति है जिनका लाभ उठाकर अप्रार्थी सख्या 11 ता 49 ने अपने पैसे व ताकत के बल बूते पर उपरोक्त खसरानो पर अवैध कब्जे कर लिये है उपरोक्त खसरान आबादी के नजदीक होने के कारण जमीन कीमती व गावो की मुख्य सडक पर होने के कारण इनके मन में लालच व बेईमानी आ गयी व भोले भाले नायको व मेघवाल की जमीन पर अवैध व अनाधिकृत कब्जे कर लिये तथा अप्रार्थी सख्या 11 ता 13 व 18 ता 21 ने तो अवैध पुख्ता कब्जा के उददेश्य से चार दीवारी आदि का निर्माण करवा लिया तथा अब भी निर्माण कर रहे है। प्रार्थी व अप्रार्थी सख्या 1 ता 10 का विधिवत रूप से विभाजन नहीं हुआ है। संयुक्त अविभाजित वादगत भूमि को बिना विधिवत विभाजन के विकय व अन्य प्रकार से हस्तान्तरण रहन/बन्धक, कुआ खुदवाने निर्माण कार्य करवाने, बैंको से ऋण आदि आदि करने पर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

आमदा है व प्रार्थी को उसके हक वा हिस्से की भूमि से महरूम करना चाहते है जबकि वादगत भूमि में प्रार्थी का अपने हक हिस्से की भूमि पर पुख्ता कब्जा उपयोग उपभोग व अधिकार चला आ रहा है। अप्रार्थीगण व अप्रार्थी स 11 ता 13 व 18 ता 21 प्रार्थी को एलानिया धमकिया दे रहा है कि वादगत भूमि को विक्रय का सौदा तय कर लिया है। व आपको बेदखल करके रहेगे व सम्पूर्ण भूमि को विक्रय कर देगे इसलिए प्रार्थी के लिये यह आवश्यक हो गया कि वो प्रतिवादियों को जरिये चिरनिषेधाज्ञा पाबन्द फरमाये कि वादगत भूमि मे से प्रार्थी के हक व हिस्से की भूमि से बेदखल ना करे विक्रय, किसी भी तरह का हस्तान्तरण, रहन, वैय निर्माण आदि आदि ना करे ना ही प्रार्थी को उसके कब्जे, काश्त, उपयोग, उपभोग की खातेदारी भूमि से बेदखल ना करे। ना ही काश्त मे दखलअन्दाजी देवे ना ही अन्य किसी व्यक्ति से दखलअन्दाजी दिलावे। ना ही अन्य कोई ऐसा कार्य करे जिससे प्रार्थी के वैध अधिकारो पर विपरीत प्रभाव पड़े। अप्रार्थी सख्या भिवाराम का पश्चिमी तरफ में 3/62 हिंस्सा पर कब्जा उपयोग उपभोग चला आ रहा है। जिसमें उसने चारों तरफ चारदीवारी बना रखी है तथा इस चार दीवारी के अन्दर मकानात भी बना रखे है। जो नजरी नक्शा में दर्शा रखा है नजरी जक्शा संलग्न वाद पत्र है इसके मुताबिक प्रार्थी अपने आये हक हिस्सा भूमि खेत का विभाजन कराने का कानूनी अधिकारी है। यह कि अप्रार्थी स 11 ता 13 व 18 ता 21 ने दिनांक 15.04.2021 को ऐलानिया धमकियां दी की वादगत भूमि विकय, हस्तान्तरण कर देगें व बिना विभाजन के ही निर्माण करवा लेगें प्रार्थी ने अप्रार्थीगण से कई बार निवेदन किया कि संयुक्त अविभाजित खेत का विभाजन करावा लेवें तो टालमटोल करते रहे दिनांक 20.04. 2021 को साफ इन्कार हो गये। यही वाद हैतुक है। व विधिवत रूप से विभाजन करवाने का प्रार्थी को कानूनी अधिकार है। प्रार्थी का अलग हिस्सा कायम करवाना चाहता है प्रार्थी को वादाधार प्राप्त है। अप्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 11 ता 13, 17 ता 21 मिलकर प्रार्थी को उसके हक वा हिस्से की भूमि से महरूम करना चाहते है जबकि वादगत भूमि में प्रार्थी का अपने हक हिस्से की भूमि पर पुख्ता कब्जा उपयोग उपभोग व अधिकार चला आ रहा है। अप्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 11 ता 13, 17 ता 21 प्रार्थी को एलानिया धमकिया दे रहे है कि वादगत भूमि को विक्रय का सौदा तय कर लिया है। व आपको बेदखल करके रहेगे व सम्पूर्ण भूमि को विक्रय कर देगे इसलिए प्रार्थी के लिये यह आवश्यक हो गया कि वो अप्रार्थीगण को जरिये चिरनिषेधाज्ञा पाबन्द फरमाये कि वादगत भूमि में से प्रार्थी के हक व हिस्से की भूमि से बेदखल ना करे विक्रय, किसी भी तरह का हस्तान्तरण,

रहन, वैय निर्माण आदि आदि ना करे ना ही प्रार्थीनी को उसके कब्जे, काश्त, उपयोग, उपभोग की खातेदारी भूमि से बेदखल ना करें। ना ही काश्त में दखलअन्दाजी देवे ना ही अन्य किसी व्यक्ति से दखलअन्दाजी दिलावे। ना ही अन्य कोई ऐसा कार्य करे जिससे प्रार्थीनी के वैध अधिकारो पर विपरीत प्रभाव पड़े। अतः अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वो मुल वाद के फैसले तक वादगत भूमि विकय हस्तान्तरण आदि ना करें आदि अंकित कर अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से वर्जित किए जाने का निवेदन किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण 1 ता 49 को तलब किया गया तथा प्रतिवादीगण 1 ता 10 , 24 , 28 ता 34, 43 , 46, 50 बावजूद तामिल अनुपस्थित होने से उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही को आदेश अमल में लाया गया। अप्रार्थीगण 11 ता 23, 25 ता 27 , 35 ता 42 ,44, 45, 47 ता 49 की ओर से एडवोकेट मनोज गोदारा ने वकालतनामा पेश किया। राज. पैरोकार ने राजहित नहीं जाहिर किया ।

पत्रावली में अप्रार्थीगण को काफी अवसर जवाब प्रार्थना पत्र के अवसर देने के बाद जवाब प्रार्थना पत्र बंद किया गया । पत्रावली बहस हेतु कायम की गई।

बहस सुनी गई अधिवक्ता प्रार्थी ने कथन किया कि की वादगत खेत खसरा नं. 910/511 तादादी 3.1367 हैक्टेयर व खसरा न 626 तादादी 0.1518 हैक्टेयर व खसरा न 627 तादादी 0.1518 हैक्टेयर व खसरा न 628 तादादी 0.1265 व खसरा न 629 तादादी 0.1265 हैक्टेयर हैक्टेयर व खसरा न 630 तादादी 0.1518 हैक्टेयर व खसरा न 631 तादादी 0.1518 हैक्टेयर व खसरा न 632 तादादी 0.1518 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम ढढेरू भाम्भूवान तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित प्रार्थी के हक व हिस्से की भूमि से बेदखल ना करे विक्रय, किसी भी तरह का हस्तान्तरण, रहन, वैय किसी प्रकार कोई निर्माण आदि आदि ना करे ना ही प्रार्थी को उसके कब्जे, काश्त, उपयोग, उपभोग की खातेदारी भूमि से बेदखल ना करे। ना ही काश्त में दखलअन्दाजी देवे ना ही अन्य किसी व्यक्ति से दखलअन्दाजी दिलावे। अप्रार्थीगण व अप्रार्थी से 11 ता 13, 17 ता 21 को पाबंद किया जावें कि उसके समक्ष विकय पत्र आदि उपरोक्त वादगत भूमि का पेश होने पर उसका पंजीयन ना करे। ना ही अन्य कोई ऐसा कार्य करे जिससे प्रार्थी के वैध अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड़े तथा मूल वाद के फैसले तक अप्रार्थीगण को जरीये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किए जाने का निवेदन किया गया।आदि आदि

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया व परिशिलन किया।

-: आदेश :-

प्रथम दृष्टया सुविधा के सन्तुलन का व अपूर्तिय क्षति मामला वकील प्रार्थी के हक में है और अप्रार्थीगण को मूल वाद के निस्तारण तक जरीये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है। की वादगत खेत खसरा नं. 910/511 तादादी 3.1367 हैक्टेयर व खसरा न 626 तादादी 0.1518 हैक्टेयर व खसरा न 627 तादादी 0.1518 हैक्टेयर व खसरा न 628 तादादी 0.1265 व खसरा न 629 तादादी 0.1265 हैक्टेयर हैक्टेयर व खसरा न 630 तादादी 0.1518 हैक्टेयर व खसरा न 631 तादादी 0.1518 हैक्टेयर व खसरा न 632 तादादी 0.1518 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम ढढेरू भाम्भूवान तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित प्रार्थी के हक व हिस्से की भूमि से बेदखल ना करे विक्रय, किसी भी तरह का हस्तान्तरण, रहन, वैय किसी प्रकार कोई निर्माण आदि आदि ना करे ना ही प्रार्थी को उसके कब्जे, काश्त, उपयोग, उपभोग की खातेदारी भूमि से बेदखल ना करे। ना ही काश्त में दखलअन्दाजी देवे ना ही अन्य किसी व्यक्ति से दखलअन्दाजी दिलावे। ना ही अन्य कोई ऐसा कार्य करे जिससे प्रार्थी के वैध अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड़े। पत्रावली नम्बर से कम होकर मूल वाद में सलग्न रहे।

यह निर्णय आज दिनांक 21-5-26 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी बीदासर (चूरू)

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर